

झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

पंचम-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनाएँ झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 03.03.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0	<p>पलामू जिला के विश्रामपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विश्रामपुर प्रखण्ड में भेलवा नदी पर जलाशय योजना तथा खुटीसोत जलाशय योजना प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल गढ़वा से सर्वेक्षण कराया गया है तथा मुख्य अभियंता जल संसाधन मंदनीनगर द्वारा अपने पत्रांक- 200 दिनांक- 04.03.2015 द्वारा योजना के निर्माण हेतु अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची को भेजा गया है परंतु अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।</p> <p>अतः उपरोक्त दोनों जलाशय योजना का निर्माण जनहित में कराने हेतु सदन के माध्यम से ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।</p>	जल संसाधन
02-	श्री लक्ष्मण दुड़ू एवं श्री साधुचरण महतो स0वि0स0	<p>पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत घाटशिला अनुमण्डल का गठन सन् 1984ई0 में कि गई थी, जिसके अधीन कुल- 07 (सात) प्रखण्ड जैसे- घाटशिला, गुडबांधा, मुसाबनी, धालभूमगढ़, चाकुलिया, बहरागोड़ा एवं दुमरिया है। साथ ही उक्त अनुमण्डल की दूरी जमशेदपुर पूर्वी-सिंहभूम से लगभग 45 कि0मी0 एवं बहरागोड़ा प्रखण्ड के लोगों को जिला मुख्यालय आने के लिए लगभग 100 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ती है। विदित हो कि घाटशिला अनुमण्डल जिला-</p>	कर्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

कृ०पृ०३०

01.	02.	03.	04.
		<p>बनने की सारी अर्हताएँ पुरा करने के बावजूद अबतक कई सरकार के उपेक्षाओं व भेदभाव रवैया के कारण जिला नहीं बन सकी है। जबकि राज्य गठन से अबतक राज्य के कई छोटे-छोटे अनुमण्डलों को जिला का दर्जा दिया जा चुका है।</p> <p>अतः वर्षों पुरानी घाटशिला अनुमण्डल पूर्वी-सिंहभूम को जनहित में जिला बनाने के मामले की ओर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान-आकृष्ट करना चाहता हूँ।</p>	
03-	सर्वश्री पौलुस सुरीन, रवीन्द्र नाथ महतो एवं श्री जयप्रकाश भाई पटेल स०वि०स०	<p>झारखण्ड राज्य एक पठारी राज्य है। राज्य अक्सर अनावृष्टि एवं अल्पवृष्टि के कारण सिंचाई के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन पा रही है। सिंचाई के लिये जलप्रबंधन जरूरी है। इसके लिये नदियों, नालों, बाँधों के मुख्यद्वार से निकलने वाला पानी और पहाड़ी झरनों से गुरुत्व सिंचाई पद्धति के द्वारा सिंचाई योजनायें बनाकर किसानों को कृषि सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है।</p> <p>अतः कृषकों के हितार्थ जलप्रबंधन हेतु गुरुत्व सिंचाई पद्धति द्वारा सिंचाई योजनायें बनाने की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।</p>	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन
04-	श्री नागेन्द्र महतो एवं डॉ जीतू चरण राम स०वि०स०	<p>राज्य बने विगत- 15 वर्ष हो गये हैं लेकिन झारखण्ड के घायल आन्दोलनकारियों के लिए 22.12.11 को सम्मान पेशन एवं अन्य सुविधा तथा शहीदों के आश्रितों को मुआवजा देने की घोषणा की गई थी एवं 28.12.11 को आन्दोलनकारियों के प्रतिनिधियों से हुई वार्ता में दिये गये आवश्वासन में भी तत्कालिन माननीय मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुण्डा ने सभी आन्दोलनकारियों के मृत आश्रितों को सरकारी नौकरी एवं घायलों को मुआवजा देने की घोषणा की गई थी जो अभी तक नहीं दिया गया है।</p> <p>वर्ष 2016-17 के बजट में भी आन्दोलनकारियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।</p> <p>अतः आन्दोलनकारियों के आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी एवं अन्य सुविधा देने हेतु शीघ्र ही बजट में प्रस्ताव लाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।</p>	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता

राँची,
दिनांक- 03 मार्च, 2016 ई०।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या०० एवं अना०प्र०-०१/२०१६-१९७२ वि० स०, राँची, दिनांक- ०२/३/१६
प्रति:- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य
मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा० राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त
के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ जल संसाधन विभाग/ कार्मिक प्रशासनिक
सुधार तथा राजभाषा विभाग/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं कृषि, पशुपालन एवं
सहकारिता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
०२/०३/१६

(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या०० एवं अना०प्र०-०१/२०१६-१९७२ वि० स०, राँची, दिनांक- ०२/३/१६
प्रति:- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः
मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
०२/०३/१६

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

३१३
०२/०३